

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, सर्किट बैंच, जोधपुर

अपील संख्या :- 91 / 2024

उषा सामरिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. संयुक्त शासन सचिव (गुप-1) राजस्व विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निबन्धक (रजिस्ट्रार) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर (राज0)।
4. जिला कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.02.2024

आदेश की दिनांक : 05.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल आचार्य, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- श्री लेखराज तोसावडा, सदस्य

श्री असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. प्रकरण की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4-ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी एवं उसके पति श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री चांदमल खटीक निवासी—भादसौडा जिला चित्तौडगढ वर्तमान में एक ही जिले व तहसील में पटवारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अपीलार्थी को जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.06.2012 के तहत पटवारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। दो वर्ष पश्चात् परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात् सेवाएं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.12.2014 द्वारा स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2024 जारी कर भू-अभिलेख निरीक्षकों/पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए क्रम संख्या 46 श्रीमती उषा सामरिया को पटवारी पटवार हल्का पिपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण जिला केकडी में कर दिया गया (प्रदर्श-4) तथा उसके पति गिरधारीलाल का स्थानान्तरण नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ से तहसील सैपउ जिला धौलपुर में कर दिया

गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार पति-पत्नी जो एक ही विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग-अलग जगह पदस्थापित हों तो जहां तक सम्भव हो उन्हें एक ही स्थान/जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानान्तरण किया जावे और उक्त पॉलिसी के तहत अपीलार्थी एवं उसके पति दोनों को एक ही स्थान/जिले में रखा जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय प्रकरण इन्द्रसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध है, ऐसी सूरत में उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)  
सदस्य